

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

संचिका संख्या:- मो०-47/15(सांख्यिकी)

5513

कृ०,पटना दिनांक 25 नवम्बर, 2015

प्रेषक,

बी० कार्तिकेय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय : खरीफ 2015 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु अवधि का विस्तार दिनांक 31.12.2015 तक करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 3010, 3011 एवं 3012 दिनांक 25.06.2015 तथा 3697, 3698 एवं 3699 दिनांक 05.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा डीजल अनुदान की स्वीकृति दी गई है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के चुनाव कार्य में व्यस्त रहने के कारण डीजल अनुदान वितरण से सम्बन्धित आवेदनों के निष्पादन में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। अतः खरीफ 2015 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान वितरण हेतु अवधि का विस्तार दिनांक 31.12.2015 तक किया जाता है।

प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(बी० कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :

5513

दिनांक : 25-11-15

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त निदेशक(शष्य), परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक :

5513

दिनांक : 25-11-15

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को ईमेल एवं बेवसाईट पर अवलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।